DEPARTMENT OF ECONOMICS
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LALIT NARAYAN MITHILA UNIVERSITY, DARBHANGA (BIHAR)

By :- Dr. Raman kumar Thakur
Assistant Professor (Guest)
Mo. No. :- 9430640318(Whatsapp)
e-mail :- ramankumar_2011@rediffmail.com

B.A. Part - II(H)
Date :- 14.05.2020

विदेशी विनियोग का नियमन - फेरा व फेमा
Regulation of foreign investment-FERA & FEMA)

*** विदेशी मुद्रा नियमन कानून 'फेरा':-** अत्यधिक कठोर कहा जाने वाला विदेशी विनिमय अधिनियम 1973(FERA-1973) अब इतिहास की बात हो गई है 31 मई 2002 से इस अधिनियम का अस्तित्व पूर्णत: समाप्त हो गया है । तथा इसके तहत किसी के भी विरुद्ध मुकदमा प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा

* विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 2000.

विदेशी मुद्रा बाजार में लेन-देनों को उदार बनाने तथा देश में विदेशी मुद्रा बाजार के समुचित एवं सुव्यवस्थित विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 27 वर्ष पुराने 1973 से प्रभावी विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम 'फेरा' के स्थान पर एक जून 2000 से एक नया विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 'फेमा' विधेयक लागू कर दिया है. फेमा पूर्ववर्ती फेरा के तुलना में अति उदार अधिनियम है. कठोर प्रावधानों वाले फेरा को 1973 में ऐसे समय में लागू किया गया था जबकि देश में विदेशी मुद्रा की बड़ी कमी थी।

1993 के बाद देश में बदलती हुई परिस्थितियों के कारण फेरा की उपयोगिता खत्म हो गई है प्रमुख परिवर्तन जो अर्थव्यवस्था में परिलक्षित हुए हैं विदेशी विनिमय संसाधनों में वृद्धि, विदेशी व्यापार में वृद्धि, प्रशुल्क में परिवर्तन ,विदेशों में होने वाले भारतीय विनियोग का उदारीकरण ,चालू खाते की परिवर्तनशीलता,भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी बाजारों में वाणिज्यिक ऋणो की प्राप्ति, तथा विदेशी संस्थागत विनियोग के द्वारा अंश बाजार में भागीदारी इन सब परिवर्तनों के कारण केंद्रीय सरकार ने 27 वर्ष पुराने 1973 से प्रभावी मुद्रा नियमन अधिनियम फेरा,के स्थान पर 1 जून 2000 से नया विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा ,1999) अधिनियम लागू किया है।

By :- Dr. Raman kumar Thakur
Assistant Professor (Guest)
Mo. No. :- 9430640318(Whatsapp)
e-mail :- ramankumar_2011@rediffmail.com

ज्ञातव्य हो कि फेरा के स्थान पर नया कानून फेमा, 1 जून 2000 से ही अस्तित्व में आ चुका है ,किंतु 'फेरा' के तहत लंबित मामलों की जांच तथा मुकदमे की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए 'सनसेट क्लॉज' के तहत 2 वर्ष का समय 'परवर्तन निदेशालय' को प्रदान किया गया था. इस प्रावधान के चलते 31 मई 2002 तक जिन मामलों में मुकदमे की कार्यवाही शुरू नहीं हो सकी उन्हें समाप्त माना जाएगा . अप्रैल 2002 के अंत तक फेरा के तहत लंबित कुल 9400 मामलों में से 1715 मामलों में ही मुकदमे की कार्यवाही शुरू की जा सकी थी.

*** फेमा के उद्देश्य(Objectives of FEMA):-** फेमा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं जो इस प्रकार से देखा जा सकता है:-

1) विदेशी विनिमय के क्रय -विक्रय पर नियंत्रण रखना।

2) विदेशों से एवं विदेशों को होने वाले भुगतानों का नियमन करना।

3) भारत के विदेशी विनिमय बाजार को शुद्धढ एवं विकसित बनाए रखना।

4) भारत में पूंजी के बहिर्गमन पर रोक लगाना।

5) भारत में विदेशियों को रोजगार का नियमन करना।

6) आर्थिक कार्यक्रमों के लिए विदेशी मुद्रा की पूर्ति बनाए रखने में सहायता प्रदान करना।

7) देश के विनिमय संसाधनों का अनुरक्षण करना।

8) विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देना।

9) विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना।